तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अनुपराम बनाम भगवति वगै०	नम्बर अहकाम हुक्म की में जा
06/3/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्ववत् दिनांक 13/5/25 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वाद्ध बहस आवश्यक से० 4 दिनांक 23/5/25 को पेश हो।	
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस व्यक्तिगत सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
28/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 152/2024

1.सूपराम पुत्र ग्यारसी जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।
2.जगदीश पुत्र ग्यारसी जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन

.....प्रार्थीगण

बनाम

1.भगवती पुत्र यादराम जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।
2.नानिगा पुत्र बुद्धी जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।
3.रूक्मणी पुत्री बुद्धी पत्नी बसंताराम निवासी गुरवारा तहसील भरतपुर
4.श्रीमान उपपंजीयक महोदय उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः—28.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 898/0.17 है0 बाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी हम प्रार्थीगण को पारिवारिक बंटवारे से प्राप्त हुई है। नकल जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 ,संवत् 2009 , संवत् 2036 लगायत 2039 तथा नकल जमाबंदी संवत् 2041 लगायत 2044 संलग्न है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के बाबा मृतक पतराम, ग्यारसी व श्रीराम की छोडी हुई आराजी है। जिस पर वादीगण बाबाओं के जमाने से एवं उनके जीवनकाल से लेकर आज तक निर्विवाद काश्त करते चले आ रहे हैं और आज भी काबिज हो काश्त कर रहे हैं। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कभी भी किसी भी हैशियत से कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण एवं उनके पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत कर प्रार्थीगण के पिताओं की आराजी को न्यारानूर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अपने नाम करवा लिया एव हम प्रार्थीगण को उक्त इन्द्राज की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं होने दी एवं राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण उक्त आराजी को हडपने पर उतारू है। दिनांक 25.08.2017 को जब हम प्रार्थीगण उक्त आराजी खडी बाजरे की फसल को काट रहे थे तभी अप्रार्थीगण मौके पर आ गये हम प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने

Bharti
:खण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

की धमकी दी एवं उक्त आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से अभिभाषक ने पैरवी करने से इंकार किया। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी वादीगण बाबाओं के जमाने से एवं उनके जीवनकाल से लेकर आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं और आज भी काबिज हो काश्त कर रहे हैं। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण को पारिवारिक बंटवारे से प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कभी भी किसी भी हैशियत से कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की टीआई से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–2072 में प्रतिवादी का नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2009 , संवत् 2036–2039 तथा नकल जमाबंदी संवत् 2041–2044 में वादी के पिता ग्यासी का नाम दर्ज है लेकिन वादी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि विना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रतिवादी के नाम पर उक्त आराजी दर्ज हो गई है। प्रथमदृष्टतया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत न होकर प्रतिवादी के पक्ष में प्रतीत होता है ।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार हैं। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पडने की प्रबल संभावना है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी में निरंतर रिकार्डेड खातेदार काश्तगार नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहा। इस प्रकार प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने बाली असुविधा अधिक प्रतीत

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर